न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर. ए. एस.
मुकदमा संख्या 85/2024

प्रार्थी–

1– घीसाराम पुत्री श्री मुगनाराम, उम्र 70 वर्ष
जाति जाट, निवासी कालनी कुमारान, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1– तहसीलदार, रियांबड़ी
3– पटवारी हल्का आलनियावास

आदेश **दिनांक** 24/12/24

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके मौजा कालनी कुमारान की सरहद में पुराना खेत खसरा नं. 671 के 1865/671 रकाब 1 बीघा 7 बिश्वा जो ग्राम आलनियावास था प्रार्थी के पिता मगना पुत्र शिवजी जाति जाट के नाम खातेदारी में था जिसके वर्तमान खसरा नं. 154/70 रकबा 0.2200 हैक्टेयर ग्राम कालनी कुमारान कायम किये गये, जो कालनी कुमारान से आलनियावास जाने वाली सड़क पर पथम सटेलेमंट से ही चला आ रहा है प्रार्थी का ढाबा रखा हुआ है व किराये पर सीतादेवी को दिया हुआ है विद्युत कनेक्शन भी लीया हुआ है वर्तमान सटेलमेंट में खसरा नं. 154/70 को मुल स्थान से पिछे तरमीम करते हुए खसरा नं. 150/70 को प्रार्थी की जगह गलत तरमीम कर दिया इस हेतु राजस्व नक्शे को दुरूस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया की खसरा नं. 150/70 रकबा 0.2400 हैक्टेयर के स्थान पर खसरा नं. 154/70 रकबा 0.2200 हैक्टेयर कायम किया जावे। प्रार्थना पत्र मुल ही भेजकर तहसीलदार से रिपोर्ट मंगाई गई जो दिनांक 18.07.2024 को प्राप्त हुई जिसमें मौका जांच रिपोर्ट में लाल स्याही से प्रस्तावित तरमीम दर्शाई गई है जो प्रार्थी का वर्तमान में कब्जा अनुसार है एवं इसी माफिक तरमीम किया जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की गई। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया माफिक जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का खसरा नं. 154/70 रकबा 0.2200 हैक्टेयर को तरमिम किया जाने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार की जांच रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार रियांबडी राजस्व रेकर्ड व नक्शें में अमल दरामद कर राजस्व रेकर्ड दूरस्त करे व आदेश की पालना करे।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला – नागौर